

14.03.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2017/00157

अपील संख्या 51/17 (225 आर.टी.ए.एक्ट)

उनवान:-मोहम्मद बनाम अकीला

वकील अपी. उप. बहस एकतरफा सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस है कि मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के नियम भिन्न है, अतः 1/16 हिस्से तक स्थगन प्रभावी रखा जावे। बहस के क्रम में पत्रा. का अवलोकन किया। 212 की प्रक्रिया अंतरिम होती है एवं अधिकार मूल वाद में तय होंगे अतः आदेश दिनांक 25.05.17 में कोई संशोधन उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आदेश है कि अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है, एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.04.2017 के 1/8 हिस्से तक प्रभावी रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

Web Copy - Not Official